...नय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

...त्र संख्या :–163 / 2017 दायर दिनांकः 06.09.2017

...S NO:- 2017/00188

...सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

मांगीलाल पुत्र सुवालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. कालू पुत्र बजरंगा धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. जगदीशपुत्र श्योकिशन धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉं जर्ये प्रबन्धक तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. बडौदा ग्रामीण बैंक शाखा समीधी जर्ये प्रबन्धक तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए, 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 84 के खसरा संख्या 263 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा किस्म बंजड भूमि स्थित है। यह कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 285 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 276 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 263 में जाने का रास्ता खसरा संख्या 291 आम रास्ता के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 4 में स्थित भूमियों खसरा संख्या 287, 285 व 276 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होता हुआ वादी के खाते की भूमि खसरा संख्या 263 तक पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 लगायत 4 के खातेदारान प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 एक राय होकर वादी के वर्षों दराज पुराने रास्ते को बंद करने पर उतारू है तथा बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध कर करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि पर जाने का पुराना रास्ता चावण्डपुरा से दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ ग्राम चावण्डपुरा से उनियारा जाने वाले आम ... में पूर्वी दिशा की तरफ सरकारी भूमि पर 15 फीट चौडा रास्ता निकला हुआ है।इस रा... ... प्रार्थना पत्र में नक्शा परिशिष्ट ब में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड ... नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...र्शाया है। यह कि खसरा संख्या 286,285,276 में प्रतिवादी ने पानी इकठ्ठा करने का ... रखा है, दिनांक 19.09.2017 को वादी प्रतिवादी के बने हुऐ एनिकट को नष्ट भ्रष्ट करने को ...कर प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने को आमदा हो गये।
...प्रार्थी ने जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में दर्शाये ... रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा वादग्रस्त रास्ते की भूमि में कोई एनिकट नहीं बना हुआ है। प्रतिवादी ने गलत तथ्य अकिंत किये है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 287, 285 व 276 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 287 में से रकबा 20 फीट • 515 फीट = 10300 वर्गफीट, खसरा संख्या 285 में से रकबा 20 फीट • 277 फीट = 5540 वर्गफीट एवं खसरा संख्या 276 में से रकबा 20 फीट • 436 फीट = 8720 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 24560 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.2284 है0 है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब काउन्टर क्लेम एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट समीधी में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 84 के खसरा संख्या 263 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 287 सिवायचक में से रकबा 20 फीट • 515 फीट = 10300 वर्गफीट, खसरा संख्या 285 में से रकबा 20 फीट • 277 फीट = 5540 वर्गफीट एवं खसरा संख्या 276 में से रकबा 20 फीट • 436 फीट = 8720 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 24560 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.2284 है0 है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner